न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–212/2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम प्रिंस उर्फ एजाज़

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.03.2018 16/03/18	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1712/गो0 दिनांक 25.10.2017 से नगर थाना कांड संख्या–195/16 दिनांक 23.10.2016 में जब्त स्कूटी पंजीयन सं0–**BR07W-4321** वाहन स्वामी मो0 प्रिंस उर्फ एजाज़, पिता–मो0 अख्तर, मुहल्ला–उर्दू नीम चौक, थाना–लहरियासराय, जिला, दरभंगा के नशे का कारोबार एवं परिवहन में संलिप्त रहने के कारण बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित)–2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अधिहरण की कार्यवाही हेतु दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा अपने अधिकृत विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 23.10.2016 को सूचना मिली के एक ड्रग स्मंगलर मनोउत्तेजित/मदहोश करने वाले दवाईयों को लेकर बिक्री करने हेतु नगर निगम दरभंगा के कार्यालय के बाहर आने वाला है जिसका उम्र करीब 20 वर्ष, रंग गोरा तथा सिंघम डिजाइन का मूँछ रखता है। सूचना के आधार पर छिपकर घेराबन्दी किया गया। समय करीब 13.30 बजे उपरोक्त हुलिया का एक व्यक्ति आसमानी रंग के स्कूटी जिसका नम्बर **BR07W-4321** है, से नगर निगम के कार्यालय के सामने सड़क पर आकर किसी का इंतजार करने लगा। इतने पर पुलिस बल द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। जिसका नाम पता पूछने पर नाम मो0 प्रिन्स उर्फ मो0 एजाज़, पिता मो0 अख्तर, मुहल्ला–उर्दू नीम चौक, थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा बताया, जिसका विधिवत् तलाशी ली गयी तो उसके स्कूटी नं0–**BR07W-4321** के डिक्की से 352 गोली Spasmoproxyvon Plus एवं Corex का दो बोतल बरामद हुआ, तथा मो0 प्रिन्स के पहने फूल शर्ट जिसका बाँह मुड़ हुआ था, उसे खोलकर चेक किया गया तो बायाँ बाँह से Anxit 0.5 का 30 (तीस) टैबलेट एवं दाहिने बाँह से NTRA-VET टैबलेट 21 पीस तथा उसके पैंट के पॉकेट से 900/- रुपया तथा काला रंग का एक पुराना नोकिया का मोबाईल जिसमें आईडिया का सिम नं0–7372886817 बरामद हुआ। जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् जब्त किया गया है, जो जब्ती सूची, प्राथमिकी से भी स्पष्ट है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा बड़ी मात्रा में	

नशीली वस्तु का परिवहन किया गया है। विपक्षी का यह कृत्य बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित)–2016 की धारा–30 एवं 32 का सरासर उल्लंघन है। अतः अवैध नशीली दवा के परिवहन में उक्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिए।

विपक्षी वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब्त स्कूटी गाड़ी आवेदक के नाम से है, जिसे उसके भाई द्वारा ले गया था, जिसे जब्त किया गया। जब्त स्कूटी जिसका निबंधन संख्या–**BR07W-4321** इंजन नं0–**UGUAJI320672** एवं चेचिस नम्बर–**MD626AG4YGIA26868** है। इनका यह भी कथन है कि दर्ज वाद से वाहन स्वामी को कोई सरोकार नहीं है। उक्त ड्रग्स एवं नशीली दवा के कार्य के विरूद्ध जब्त वाहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वाहन स्वामी जब्त वाहन का स्वयं उपयोग करते हैं। इनका यह भी कथन है कि न्यायालय द्वारा निदेशित सभी शर्त्तों को मानने हेतु तत्पर है। जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु बंधपत्र देने हेतु भी तत्पर है। विज्ञ अधिवक्ता जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हैं।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त जब्त वाहन का उपयोग अवैध नशीले के परिवहन में किया गया है। विपक्षी वाहन स्वामी ने भी अपने कारण पृच्छा में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है। उल्लिखित अधिनियम की धारा 30 एवं 32 के तहत किसी भी वाहन से अवैध नशा का परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा–संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत नगर थाना कांड सं0–195/2016 दिनांक 23.10.2016 में जब्त स्कूलटी नं0–**BR07W-4321** इंजन नं0–**UGUAJI320672** एवं चेचिस नम्बर–**MD626AG4YGIA26868** को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/03/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।